

२३^५/_{२५}

अपीलांटस के अधिवक्ता अनु. रेसपो की
तलबी हेतु अधिवक्ता अपीलंट द्वारा
साबिक आदेश की पालना नहीं की गई।
इस हेतु र्व में पर्याप्त अवसर दिए
जा चुके हैं। निम्ना अपीलांटस की यह
अपील अदम परवी एवं अदम पालना न्यायालय
आदेश में खारिज की जाती है पत्रावली
केसल शुभाट दोकर नंबट से कम हो एवं
पाखिल वक्त हो

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)